फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

अनू .... बनाम ...... सरपंच परसा का बास

किस्म मुकदमा ...... अपील .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट द्वारा यह अपील विरुद्ध तहत अदालत ग्राम पंचायत-परसा का बास आज्ञा दिनांक-28/05/2025, इंतकाल संख्या - 1204 पेश की गयी, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा संख्या -853/1094 रकबा 0.0600 हे०, 855/1095 रकबा 0.0900 हे०, 856 रकबा 1.100 हे० कुल किता 03, कुल रकबा 1.25 हे० खाता संख्या-58, वाके ग्राम अहमदपुर, तहसील-मालाखेड़ा प्रार्थीगण के बुजुर्ग ग्यासी पुत्र छोटू की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। ग्यासी पुत्र छोटू का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके दो पुत्र रामसिंह व लक्ष्मण के वारिसान है। अपीलान्ट ने ग्यासी पुत्र छोटू के स्वर्गवास के उपरान्त उसकी विरासत नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा जांच पश्चात अपीलान्ट के नाम विरासत नामान्तकरण स्वीकार करने की सिफारिश की, किन्तु रेस्पोंडेन्ट द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के दिनांक-25/05/2025 को इंतकाल संख्या -1204 खारिज	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

(1)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कर दिया, जिसका कोई कारण दर्ज भी नहीं किया है। उक्त इंतकाल खारिज करने की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक-04/11/2025 को हुई, अपील जानकारी की तारीख के अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जेर दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलांट ने अपील पर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत परसा का बास का आदेश दिनांक - 28/05/2025, इंतकाल संख्या- 1204 वाके ग्राम अहमदपुर, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर को निरस्त किया जाकर इंतकाल अपीलांट के नाम स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट जरिये रजि. एडी. नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि साधारण सभा में अनुमोदन उपरान्त जब प्रशासक महोदया द्वारा E-Dharti पोर्टल पर उक्त नामांतकरण को अनुमोदन की कार्यवाही की, तब रिपोर्ट कॉलम में तो "स्वीकृत" रिपोर्ट कर दी, परन्तु तकनीकी जानकारी के अभाव में "लिपिकीय त्रुटि" के चलते सहवन से उक्त विरासत नामांतकरण निरस्त हो गया। उक्त नामांतकरण को पुनः दर्ज किया जाने में ग्राम पंचायत-परसा का बास को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी।

...खण्ड अधिकारी
...(अलवर)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

.... बनाम ....

मुकदम .... नं. .... सन् ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
	पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम इंतकाल की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने तक के समय को धारा-5 मियाद अधिनियम के तहत कण्डोन किया जाता है। तहत अदालत ग्राम पंचायत परसा का बास द्वारा अपने जवाब में दर्ज किया गया है कि तकनीकी जानकारी के अभाव में लिपिकीय त्रुटि के कारण सहवन से विरासत इंतकाल संख्या-1204, आदेश दिनांक-25/05/2025 को, विरासत नामांतकरण निरस्त हो गया। अतः तहत अदालत ग्राम पंचायत परसा का बास द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक-25/05/2025, इंतकाल संख्या-1204 वाके ग्राम अहमदपुर, तहसील मालाखेड़ा निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टान के विरासत दस्तावेजात की भलीभांति जांच कर नियमानुसार नामांतकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवायी जावे।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

(१५)